

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

171, पुराना मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद-211002

संख्या-39492 / दस-लाइसेंस-367 / सुझाव आबकारी नीति / 2018-19

दिनांक: इलाहाबाद: फरवरी 13, 2018

विज्ञापित

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर व समुद्रपार से आयातित मदिरा के थोक अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन हेतु आवश्यक सूचना

इस कार्यालय की विज्ञापित संख्या-38628/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2018-19 दिनांक 03.02.2018 के प्रस्तर-(च) के उप प्रस्तर-(1) से (5) के क्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर व ओवरसीज मदिरा के अनुज्ञापन सी0एल0-2/ एफ0एल0-2/ एफ0एल0-2बी/एफ0एल0-2डी का व्यवस्थापन ऑन-लाइन आवेदन मांग कर किया जायेगा। यह आवेदन विभागीय वेबसाइट upexciseelottery.gov.in पर किया जा सकता है।

प्रथम चरण में आवेदन करने की अन्तिम तिथि उक्त विज्ञापन दिनांकित 03.02.2018 के प्रस्तर-17 के अनुसार पूर्ववत् दिनांक 28.02.2018 रहेगी। थोक अनुज्ञापनों से सम्बन्धित शुल्क ई-पेमेंट द्वारा किये जायेंगे।

नोट:- 1- वर्ष 2018-19 की आबकारी नीति का विस्तृत विवरण तथा फुटकर/थोक अनुज्ञापन हेतु रजिस्ट्रेशन, आवेदन/शपथ पत्र आदि का विवरण विभागीय वेबसाइट www.upexcise.in पर देखा जा सकता है।

2- अधिक जानकारी के लिये उप आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग), संयुक्त आबकारी आयुक्त (मुख्यालय) एवं अपर आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग एवं औद्योगिक विकास) उ0प्र0, इलाहाबाद से सम्पर्क किया जा सकता है।

(धीरज झा)

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।